FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

वादी / वादीगण	बनाम	प्रतिवादी / प्रतिवादीगण
1 अर्जुनसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी बिजलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा		1 अमरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी बिजलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (10) 11 शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिवाना 12 शाखा प्रबंधक एस.बी.आई एडीगी बैंक शाखा सिवाना 13 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा.....धारा 53,188 RT Act. मुकदमा नंबर:– 133 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2025	वादी अर्जुनसिंह की ओर से वकील श्री गणपतसिंह ने यह वाद पत्र प्रतिवादी अमरसिंह वगैरह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 24.12.2025 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
24.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश करे, सम्मन पेश करने पर जारी होकर पत्रावली आइंदा 11.03.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना	
11.03.26	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकील श्री सहवीर सिंह उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली है। वादी वकील, शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश करे, पेश करने पर जारी होकर पत्रावली आइंदा 29.05.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर सिवाना	
27.03.2026	वादी वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी को पत्रावली आज तलब नहीं होना है। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उभय पक्ष के मध्य लोक अदालत की भाषना से राजीनामा हो गया है। अतः वादी वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए वादी का वाद पत्र	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:51:14 IST
Reason: SelfAttested

उनवान अर्जुनसिंह बनाम अमरसिंह

मुकदमा नंबर 133 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

जरिये विद्रो खारिज फरमावे एवं वादी को नया वाद पत्र पेश करने का हक सुरक्षित रखावे।

हमने वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को नया वाद प्रस्तुत करने के हक को सुरक्षित रखते हुए वादी का वाद पत्र जरिये विद्रो खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

सेवामें,

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:51:14 IST
Reason: SelfAttested